रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240282 CG-DL-E-15112022-240282

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5070] No. 5070] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 5290(अ).— केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7-द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 11 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना का. आ. 5245 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

पैरा-4 के अंतर्गत सारणी-1 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति
	कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए
	में)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20

7564 GI/2022 (1)

भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूर्विंग उपस्कर	3.45
(ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (तीन से छह धुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

[फा. सं. एनएचएआई/13013/सीओ/2022-23/सूरथकलशुल्कअधिसूचना(भाग)] महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक दिनांक 11 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना का.आ. 5245(अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 5290(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. 5245(E), dated 11th November, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

Table 1 under para -4 of the notification shall be substituted as under:

Table 1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

[F. No. NHAI/13013/CO/2022-23/SurathkalFeeNotification(Part)] MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide 5245 (E), dated 11th November, 2022.